

Form LTC
[Rule 163E (6)]

06/Pol.-98/2016

Form of License to Establish Pollution Testing Station.

License No.-420/2017 - 183

Dated : 09.01.18

1. A License is hereby granted to **Sri Om Mantra Kumar, S/O-Late Rajendra Prasad, Khandakper, P.O.+P.S.-Biharsharif, Dist-Nalanda.** to establish a pollution testing station. The P.T.S. will be established at place/building **N.H.-31, Devi Sarai, Near-Mangal Sthan, Dist-Nalanda.** The PTS is authorized to test the following types of vehicles :-

(a) **Petrol Diesel both**

Under Motor Vehicle Act 1988, Central Motor Vehicle Rules 1989 & Bihar Motor Vehicle Rules 1992.

2. The License will be valid from :- 09.01.2018 to 08.01.2020

Date :

Seal :



(Signature of Licensing Authority)

The license is hereby renewed from :- ----- to -----

विशेष कार्य पदाधिकारी (मुख्यालय)
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

(Signature of Licensing Authority)

ज्ञापांक :- 183

पटना, दिनांक :- 09.01.18

प्रतिलिपि: 1. श्री ओममंत्र कुमार, पिता-स्व० राजेन्द्र प्रसाद, खन्दकपुर, पो०+थाना-बिहारशरीफ, जिला-नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी आर.टी.ए./सभी डी.टी.ओ./बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर डालने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।



(Signature of Licensing Authority)

विशेष कार्य पदाधिकारी (मुख्यालय)
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

नोट :- यह अनुज्ञप्ति पारपृष्ठ पर उल्लेखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।